प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला भ्र0नि0 ब्यूरो, झालावाड़ थाना :– प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र.नि.ब्यूरो, जयपुर वर्ष :– 2022
प्र0सू0रि0 सं ......174/22........ दिनांक..........11/5/2022..........
2. (1) अधिनियम पी.सी.(संशोधन) एक्ट 2018..धारायें 7 पी.सी.(संशोधन) एक्ट 2018 ....

(2) अधिनियम..धारायें ....

(3) अधिनियम..धारायें..

(4) अन्य अधिनियम एवं .... धारायें ....

3. (क) घटना का दिन व दिनांक :– मंगलवार 22.02.2022 व मंगलवार 05.04.2022
(ख) थाने पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक :– 16.02.2022 समय :– 02 पी.एम.
(ग) रोजनामचा संदर्भ प्रविष्टि संख्या .....231....... समय.........5:00 P.M.
4. सूचना कैसे प्राप्त हुई– (लिखित/मौखिक) लिखित प्रार्थना पत्र
5. घटनास्थल का ब्यौरा :–
(क) थाने से दिशा एवं दूरी –चौकी ए.सी.बी. झालावाड़ से करीब 14 कि0मी0 बजानिब दक्षिण दिशा
बीट संख्या..जुरामदेही सं..................................
(ख) पताः– ग्राम पंचायत पिपलोद पंचायत समिति झालरापाटन जिला झालावाड़।
(ग) यदि इस थाने की सीमा से बाहर हो, तब उस थाने का नाम..............जिला ....
6. शिकायतकर्त्ता/इतिला देने वाला :–
(क) नाम :– श्री प्रभूलाल
(ख) पिता/पति का नाम :– श्री गुलाब ....जाति गुर्जर
(ग) जंन्म तिथि/उम्र :– 46 साल
(घ) राष्ट्रीयता – भारतीय
(ड़) पासपोर्ट संख्या.....................जारी करने की तिथि.............................जारी करने का स्थान
(च) व्यवसाय –
(छ) पता :– ग्राम चांदियाखेड़ी डूण्डा तहसील झालरापाटन जिला झालावाड़।
7. ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्तों का पूर्ण विवरण :–

ज्योति राठौर पुत्री श्री बनवारी लाल राठौर जाति राठौर उम्र 38 वर्ष निवासी नई आबादी असनावर तहसील असनावर जिला झालावाड़ हाल कनिष्ठ सहायक ग्राम पंचायत पिपलोद पंचायत समिति झालरापाटन जिला झालावाड़।

8. शिकायत/इतिला देने वाले द्वारा सूचना देने में देरी का कारण :– कोई नहीं
9. चोरी हुई/लिखित सम्पति की विशिष्टियॉ (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)
10. चोरी हुई/लिखित सम्पति का कुल मूल्यः – 20,000 रूपये ....
11. पंचनामा/यूडी के संख्या (अगर हो तो)..
12. प्रथम सूचना रिपोर्ट की विषयवस्तु :–

महोदय,

हालात् घटना क्रम इस प्रकार है कि दिनांक 16.02.2022 समय 02:00 पीएम को परिवादी श्री प्रभुलाल पुत्र श्री गुलाब जाति गूर्जर उम्र 46 वर्ष निवासी चांदियाखेड़ी डूण्डा, तहसील झालरापाटन जिला झालावाड़ राज0 मो0नं0 9799976255 ने ब्यूरो कार्यालय झालावाड़ पर स्वंय उपस्थित होकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष एक टाईप शुदा प्रार्थना पत्र पेश किया। परिवादी श्री प्रभूलाल के प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों को अवलोकन किया गया। परिवादी श्री प्रभूलाल ने उक्त प्रार्थना पत्र अपने विश्वसनीय व्यक्ति से टाईप करवाना बताया जो इस संबंध में किसी को कोई जिक्र नहीं करेगा तथा गोपनीय कार्यवाही को गुप्त रखेगा। परिवादी ने प्रार्थना पत्र में अंकित समस्त तथ्य सही होना तथा उस पर स्वंय के हस्ताक्षर होना बताया है। परिवादी ने मजमून दरियाफ्त पर बताया कि वह ग्राम चांदियाखेड़ी डूण्डा, ग्राम पंचायत पिपलोद, पंचायत

समिति व तहसील झालरापाटन जिला झालावाड़ (राज0) का रहने वाला है। उसका उसके गांव में 19 गुणा 40 वर्ग फीट साईज का एक प्लॉट है। जिसका पट्टा बनवाने के लिए वह दिनांक 15.02.2022 को उनकी ग्राम पंचायत पिपलोद के सरपंच श्री रामबिलास राठौर से उसके घर पर मिला तो उसने कहा कि ज्योति मैडम से मिल लो, तुम्हारे मकान का पट्टा वही बनायेगी। इस पर मैं उसी रोज ज्योति राठौर मैडम जो ग्राम पंचायत पिपलोद में कनिष्ठ सहायक के पद पर लगी हुई है। उससे मिला तो उसने कहा कि तुम्हारे मकान का पट्टा बनाने के लिए 25,000रूपये देने पड़ेगें। तुम्हारे पास 25,000रूपये की व्यवस्था हो जाए तो मेरे पास आ जाना। तुम्हारे मकान का पट्टा बनवा दूंगी। इस पर मैंने ज्योति मैडम से कहा कि मुझे सरपंच साहब श्री रामबिलास राठौर जी से तो मिला दो क्योंकि पट्टे पर दस्खत तो उनके भी होते है तो ज्योति मैडम ने कहा कि सरपंच साहब तुमसे कोई बातचीत नहीं करेगें। उनके पास मत जाना। पट्टा बनवाने की मैं गारण्टी लेती हूं। सरपंच साहब का जो भी हिसाब किताब होगा वह तुम मुझको देने के बाद मैं सरपंच साहब को कर दूंगी। और तुम्हारा पट्टा बन जायेगा। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इस पर मैंने कहा कि मैडम थोड़े कम कर लो 25,000रूपये तो बहुत ज्यादा होते है तो उसने कहा कि 8–10 हजार रूपये तो सरपंच ही ले लेगा। इसके अलावा मुझे कई लोगों का मुंह बन्द करने के लिए रूपये देने पड़ते है। मैं अकेली थोड़ी ही 25,000रूपये खा जाउंगी। मैं मेरे जायज काम के लिए ज्योति मैडम व सरपंच श्री रामबिलास राठौर को रिश्वत राशि के 25,000रूपये नहीं देना चाहता हूं। तथा उन दोनों को रिश्वत लेते रंगे हाथों रिश्वत लेते पकड़वाना चाहता हूं। मेरी ज्योति मैडम व सरपंच साहब श्री रामबिलास राठौर से कोई पुरानी रंजिश नहीं है और न ही कोई उधारी का लेन देन बकाया है। परिवादी द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र व मजमून दरियाफ्त से मामला संशोधित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 2018 की धारा 7, 7ए व 120बी आईपीसी की परिधि में आता है। अतः परिवादी श्री प्रभूलाल को आरोपिता ज्योति राठौर कनिष्ठ सहायक के पास भिजवाकर रिश्वत की मांग का गोपनीय सत्यापन हेतु समय 02.50 पीएम पर श्री गोपाल लाल हैड कॉनि0 नं0 26 से मालखाना में रखे हुए ब्यूरो कार्यालय के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को निकलवाकर मन् अति. पुलिस अधीक्षक द्वारा चेक किया जाकर परिवादी श्री प्रभूलाल को चालू बन्द करने की विधिवत् प्रक्रिया ऑपरेटिंग करना भलीभांति समझाकर सुपुर्द कर रिश्वत की मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने हेतु ब्यूरो कार्यालय के कॉनि0 श्री सूरजमल नं0 521 को निगरानी रखने हेतु परिवादी श्री प्रभूलाल के साथ दोनों को आवश्यक हिदायत देकर अपनी–अपनी मोटरसाइकिलों से बजानिब रवाना चांदियाखेड़ी के लिये किया गया। फर्द सुपुर्दगी डिजिटल वाइस रिकॉर्डर पृथक से मुर्तिब की गयी। समय 06.40 पीएम पर परिवादी श्री प्रभूलाल व श्री सूरजमल कानि. नं. 521 ब्यूरो कार्यालय में रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के उपरान्त मय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर अपनी–अपनी मोटरसाइकिलो से ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आये। समय 07.40 पीएम पर श्री सूरजमल कानि0 ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर सुपुर्द कर बताया कि आपके निर्देशानुसार मैं परिवादी श्री प्रभूलाल के साथ–साथ दोनों अपनी–अपनी मोटरसाइकिलों से ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर चांदियाखेड़ी चौराहा (इन्दौर–उज्जैन हाईवे) पर पहुंचे। वहां से परिवादी श्री प्रभूलाल से आरोपिता ज्योति राठौर के मोबाईल पर वार्तालाप करवाई गई तो परिवादी श्री प्रभूलाल ने बताया कि आरोपिता अभी व्यस्त है। तथा अपनी स्कूटी से घण्टे भर बाद चांदियाखेड़ी चौराहा पर ही आ रही है, तथा उसने मुझे यही पर इन्तजार करने के लिए कहा है। इस पर मैंने पुनः परिवादी श्री प्रभूलाल को आवश्यक हिदायत देकर आरोपिता के आने तक इन्तजार करने तथा उसके आने पर अपने प्लाट का पट्टा बनवाने के कार्य के लिए रिश्वत मांग सत्यापन वार्तालाप करने हेतु डिजिटल वाईस रिकॉर्डर चालू करने के पुनः निर्देश देकर अपनी मोटरसाइकिल को थोड़ी दूरी पर साईड में खड़ा कर छुपकर इंतजार करने लगा। लगभग एक घण्टा का समय व्यतीत होने पर एक महिला स्कूटी पर आयी जिसे देखकर परिवादी श्री प्रभूलाल तत्काल उसके पास चला गया। परिवादी श्री प्रभूलाल को देखकर उस महिला ने स्कूटी को साईड में खड़ा कर परिवादी को एक तरफ ले जाकर लगभग 30–40 मिनट तक खड़े–खड़े वार्तालाप की। और उसके पश्चात् झालरापाटन की तरफ अपनी स्कूटी से चली गई। तथा उसके जाने के बाद परिवादी श्री प्रभूलाल मेरे पास आया तथा डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मुझे सुपुर्द कर बताया कि अभी जिसके पास मैं खड़ा–खड़ा बाते कर रहा था वहीं ज्योति मैडम है उससे मैंने मेरे प्लाट का पट्टा बनाने की बातचीत कर ली है। बातचीत के दौरान मैंने आपके बताये अनुसार डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को चालू कर वार्तालाप को रिकॉर्ड कर लिया है। वार्तालाप के दौरान ज्योति राठौर मैडम ने कहा है कि तुम 25,000रूपये की जगह 20,000रूपये लेकर आ जाना तुम्हारे प्लाट का पट्टा बन जायेगा। श्री सूरजमल कानि0 नं0 521 द्वारा बताया गये तथ्यों के बारे में परिवादी श्री प्रभूलाल से पूछने पर उसने भी उक्त तथ्यों की ताईद की। रिकॉर्डेड डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को श्री गोपाल लाल हैड कानि0 नं0 26 को सुपुर्द कर सुरक्षित रूप से मालखाना में रखने की हिदायत दी गई। तथा परिवादी श्री प्रभूलाल को अब तक की कार्यवाही के संबंध में पूर्णतया गोपनीयता बरतने की हिदायत देकर ब्यूरो कार्यालय से रूखसत किया गया। दिनांक 21.02.2022 समय 04:50 पीएम पर परिवादी श्री प्रभूलाल ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को जरिये मोबाईल अवगत करवाया कि आरोपिता ज्योति राठौर मैडम बाहर गई हुई थी जो आज ड्यूटी पर आ गई है। तथा उससे मैंने मोबाईल पर बातचीत की तो उसने बताया कि कल मैं चांदियाखेड़ी ही मिलूंगी। अगर 20,000रूपये की व्यवस्था हो गई हो तो तुम मुझे एक बार फोन कर चांदियाखेड़ी आ जाना। इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने ट्रेप कार्यवाही

के लिए 20,000रूपये रिश्वत में दी जाने वाली राशि बाबत् परिवादी श्री प्रभूलाल से पूछा तो उसने बताया कि साहब रिश्वत राशि की व्यवस्था हो गई है। इस पर परिवादी श्री प्रभूलाल को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने गोपनीय कार्यवाही हेतु प्रातः 09.00 बजे ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित होने के लिए बताया। समय 05:00 पीएम पर गोपनीय कार्यवाही हेतु राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, झालावाड़ के नाम पत्रांक 105 दिनांक 21.02.2022 मुर्तिब कर श्री सूरजमल कानि0 नं0 521 को देकर दिनांक 22.02.2022 को प्रातः 10.30 बजे गोपनीय कार्यवाही हेतु दो सरकारी गवाह भिजवाने के लिए पाबन्द कर उनके नाम व पद अवगत कराने के लिए कार्यालय उपनिदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग झालावाड़ के लिए रवाना किया गया। समय 05:10 पीएम पर गोपनीय कार्यवाही हेतु महिला कानिस्टेबल की आवश्यकता होने पर थानाधिकारी थाना कोतवाली झालावाड़ के नाम पत्रांक 109 दिनांक 21.02.2022 मुर्तिब कर श्री शिवराज कानि0 नं0 166 को देकर दिनांक 22.02.2022 को प्रातः 10.30 बजे सादा वस्त्रों में महिला कानि0 भिजवाने के लिए तहरीर देकर कोतवाली झालावाड़ के लिए रवाना किया गया। समय 05:30 पीएम पर श्री सूरजमल कानि0 नं0 521 ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आया तथा गोपनीय कार्यवाही हेतु कार्यालय उपनिदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, झालावाड़ के श्री देवीलाल पुत्र श्री भैरूलाल जाति मेघवाल उम्र 57 वर्ष निवासी लक्ष्मीपुरा तहसील बकानी जिला झालावाड़ हाल वरिष्ठ सहायक कार्यालय उपनिदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, झालावाड़ मो0नं0 9799618069 व श्री भुवनेश सिंह पुत्र श्री दिलीप सिंह सिकरवार जाति राजपूत उम्र 35 वर्ष निवासी विवेकानन्द कॉलोनी झालावाड़ हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय उपनिदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, झालावाड़ मो0नं0 7073527077 को पाबन्द कर ब्यूरो कार्यालय पाबन्द शुदा गवाहान का पत्रांक 1921 दिनांक 21.02.2022 मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द किया गया। जिसे शामिल पत्रावली किया गया। समय 05:45 पीएम पर गोपनीय कार्यवाही हेतु थाना कोतवाली झालावाड़ से श्री शिवराज कानि0 नं0 166 ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आया। तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को तहरीर पर श्रीमती सुशीला महिला हैड कानि0 580 थाना कोतवाली को पाबन्द कराने का पत्र पेश किया। जिसे शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 22.02.2022 समय 10.30 एएम पर तलविदा दो स्वतंत्र गवाहान श्री देवीलाल हाल वरिष्ठ सहायक व श्री भुवनेश सिंह हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय उपनिदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, झालावाड़ ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आये। जिनसे मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिचय प्राप्त कर की जाने वाली कार्यवाही से अवगत् करवाया गया। समय 10:35 एएम पर पाबन्दशुदा परिवादी श्री प्रभुलाल ब्यूरो कार्यालय मे उपस्थित आया व अवगत कराया कि वह अपने साथ रिश्वत मे दी जाने वाली रिश्वत राशि 20,000 रूपये लेकर आया है। परिवादी ने यह भी अवगत कराया कि आरोपिता ज्योति राठौर कनिष्ठ सहायक से पूर्व में हुई वार्ता अनुसार आज मोबाईल पर वार्ता कर रिश्वत राशि लेकर बुलाया है तथा आरोपिता आज उसके कार्यालय में ही मौजूद है। परिवादी का ब्यूरो कार्यालय मे उपस्थित दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री देवीलाल वरिष्ठ सहायक एवं श्री भुवनेश सिंह कनिष्ठ सहायक का परिवादी से परस्पर परिचय कराया गया। परिवादी श्री प्रभुलाल का दिनांक 16.02.2022 को ब्यूरो कार्यालय में पेश किया गया प्रार्थना पत्र रिश्वत देते रंगे हाथों पकड़वाने बाबत् पढ़कर सुनाया गया। इस पर दोनों स्वतंत्र गवाहान ने प्रार्थना पत्र को पढ़कर व परिवादी से पूछताछ कर परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र पर अपने-अपने हस्ताक्षर किये तथा ट्रेप कार्यवाही मे सहयोग हेतु सहमति प्राप्त की गई। समय 10.40 एएम पर पूर्व दिनांक 21.02.2022 को तलविदा श्रीमति सुशीला महिला हैड कानि. नं. 580 पुलिस थाना कोतवाली झालावाड़ ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आयी। जिससे मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिचय प्राप्त कर की जाने वाली कार्यवाही से अवगत् करवाया गया। समय 10:50 एएम पर परिवादी श्री प्रभुलाल व दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री देवीलाल व श्री भुवनेश सिंह की मौजूदगी में मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्देश देकर श्री गोपाल लाल हैड कानि. नं. 26 से मालखाना मे रखे हुऐ डिजिल वाईस रिकॉर्डर को निकलवाया जाकर सुना गया तो दिनांक 16.02.2022 को परिवादी श्री प्रभुलाल व आरोपिता श्रीमती ज्योति राठौर कनिष्ठ सहायक के मध्य हुई सत्यापन वार्ता में परिवादी के प्लाट का पट्टा बनवाने के लिए आरोपिता श्रीमती ज्योति राठौर द्वारा 20,000रूपये रिश्वत की मांग करना सत्यापन वार्ता में पुष्टि होना पाया गया है। डिजिटल वाईस रिकॉर्डर सुनकर दिनांक 16.02.2022 को हुई वार्ता को श्री सूरजमल कानि. नं. 521 को निर्देश देकर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर से उक्त वार्ता को कार्यालय के कम्प्यूटर में लिवाकर दोनों स्वतंत्र गवाहान, परिवादी श्री प्रभुलाल को वार्ता को सुनाया गया, उक्त वार्ता में आवाज की पहचान कर परिवादी श्री प्रभुलाल ने एक आवाज स्वंय की तथा दुसरी आवाज आरोपिता श्रीमती ज्योति राठौर कनिष्ठ सहायक की होना बताया। वार्ता की हुबहु फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता तैयार कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। समय 12:25 पीएम पर परिवादी श्री प्रभुलाल ने दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री देवीलाल व श्री भुवनेश सिंह के समक्ष अपने पास से 20,000/-रूपये रिश्वत में दी जाने वाली राशि 500-500 रूपये के कुल 40 नोट भारतीय मुद्रा के मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को पेश किये जिनके नम्बरो को फर्द में अंकित करवाया गया। उक्त प्रस्तुत नोटो को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी व सरकारी स्वतन्त्र गवाहान को दिखा कर श्री शिवराज कानि. नं. 166 से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी मालखाना से निकलवाकर मंगवाई तथा उक्त कानि. को रिश्वत में दिये जाने वाले नोट सुपुर्द कर उसके द्वारा 20,000/-रूपये रिश्वत राशि के नोटो पर फिनोफ्थलीन पाउडर इस प्रकार लगवाया गया कि नोटो पर पाउडर की मौजूदगी प्रभावी व

अदृश्य रहे तथा गवाहान श्री देवीलाल से परिवादी श्री प्रभुलाल की जामा तलाशी लिवायी जाकर उसके पास पहने हुये कपड़े व मोबाईल के अलावा कुछ भी नहीं रहने दिया। श्री शिवराज कानि0 नं0 166 के हाथ से सीधे ही फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त उक्त रिश्वत राशि के नोटो को परिवादी श्री प्रभुलाल की पहनी हुई पेंट की साईड की दाहिनी जेब में रखवायी गयी। परिवादी को हिदायत दी गई की वह रिश्वती राशि को रास्ते मे अनावश्यक हाथ नहीं लगाये तथा आरोपिता द्वारा मांगने पर ही निकालकर रिश्वती राशि उसे देवें। रिश्वती राशि देने के पश्चात एवं पूर्व मे आरोपिता से हाथ नहीं मिलायें यदि अभिवादन की आवश्यकता पड़े तो दूर से ही दोनों हाथ जोड़कर अभिवादन कर लें। परिवादी को यह भी हिदायत दी गयी कि आरोपिता द्वारा रिश्वती राशि प्राप्त करने के पश्चात कहां रखती अथवा छुपाती हैं का भी ध्यान रखें तथा आरोपिता के रिश्वती राशि प्राप्त करने पर अपने स्वंय के सिर पर दोनों हाथ फेर कर या मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल पर मिस काल करें ताकि मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं ट्रेप पार्टी को रिश्वती राशि के लेन–देन होने का पता चल जाये। स्वतन्त्र गवाहन व ट्रैप पार्टी के सदस्यों को भी हिदायत दी गई कि जहां तक सम्भव हो अपनी–अपनी उपस्थिति छुपाते हुए रिश्वती लेन–देन को देखने एवं वार्तालाप को सुनने का प्रयास करें। इसके पश्चात् फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को श्री शिवराज कानि0 से ही मालखाना में रखवाया गया। एक साफ कांच के गिलास में साफ पानी डलवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर मिलाकर घोल तैयार करवाने पर गिलास के घोल के रंग में कोई परिवर्तन नहीं आया। कांच के उक्त रंगहीन घोल में नोटों पर फिनोफथलीन पाउडर लगाने वाले श्री शिवराज कानि0 के दाहिने हाथ की अंगुलियो को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया। इस तरह गवाहान् एवं परिवादी को दृष्टांत देकर समझाईश की गई कि जो भी व्यक्ति इन फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त नोटो के हाथ लगायेगा या छुयेगा तो उसके हाथों की अंगुलियों को सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल में धुलवाने पर दोनों पाउडरों के परस्पर मिश्रण से घोल का रंग परिवर्तित होकर गुलाबी हो जायेगा, जिससे यह जाहिर होगा कि उसने फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त रिश्वत राशि प्राप्त की है। इसके पश्चात् श्री शिवराज कानि. के द्वारा ही दृष्टान्त के उपयोग में लिये गये गिलास में मौजुद गुलाबी घोल को बाथरूम के वॉश बेसिन में डलवाकर नष्ट करवाया गया। फिनोफ्थलीन पाउडर लगाने में काम में लिये गये अखबार को जलाकर नष्ट करवाया गया। दोनों गिलासों, ट्रेप सामग्री किट, चम्मच, खाली पव्वों इत्यादी को भी साफ पानी व साबुन से अच्छी तरह धुलवाये जाकर ट्रेप बाक्स में रखवाये गये। श्री शिवराज कानि0 एवं ट्रेप पार्टी के सदस्यों के दोनों हाथों को भी साफ पानी व साबुन से धुलवाया गया। इसके पश्चात् परिवादी को छोड़कर समस्त पार्टी के सदस्यगणो ने अपनी–अपनी आपस में जामा तलाशी लिवाई गई तथा ट्रेप दल में ब्यूरो स्टाफ के पास स्वंय के विभागीय परिचय पत्र रहने दिये गये, किसी के पास कोई आपत्ति जनक वस्तु अथवा राशि नहीं रहने दी गई। इसके पश्चात् पुनः परिवादी सहित समस्त ट्रेप पार्टी के हाथ साफ पानी एवं साबुन से धुलवाये गये। रिश्वती लेन देने के समय लेन–देन वार्ता को रिकॉर्ड करने हेतु एक डिजिटल टेप रिकॉर्डर के रख रखाव व संचालन की विधि समझाकर परिवादी श्री प्रभुलाल को सुपुर्द किया गया। फर्द हाजा मुर्तिब की जाकर हाजरिन को पढ़कर सुनाई गई, सुन समझ सही मान समस्त ने अपने–अपने हस्ताक्षर किये। समय 01:10 पीएम पर ट्रेप कार्यवाही से पूर्व की सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्ण होने पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान श्री देवीलाल व श्री भुवनेश सिंह तथा ब्यूरो स्टाफ के श्री गोपाल लाल हैड कानि. नं. 26, श्री मोहम्मद आफाक हैड कानि. नं. 97, श्री सूरजमल कानि. 521, श्री देवदान सिंह कानि. नं. 425, श्री पवन कुमार कानि. 28, श्रीमती सुशीला महिला हैड कानि0 नं0 580 मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर तथा सरकारी वाहन बोलेरो चालक श्री छोटूलाल नं. 534 के व प्राईवेट वाहन से बजानिब पिपलोद की ओर ट्रेप कार्यवाही हेतु रवाना हुआ। आगे आगे परिवादी श्री प्रभुलाल को उसकी स्वंय की मोटरसाईकिल से रवाना किया। तथा श्री शिवराज कानि. नं. 166 को ब्यूरो कार्यालय झालावाड़ में छोड़ा गया। समय 01:25 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को परिवादी श्री प्रभुलाल ने गोपनीय कार्यवाही के लिये जाते समय रास्ते में झालरापाटन से आगे बाईपास पुलिया के नजदीक अपनी मोटर साईकिल रोककर रूकने का ईशारा करने पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने चालक श्री छोटू लाल कॉनि0 चालक 534 को सरकारी वाहन तथा साथ में ले गये प्राईवेट चौपहिया वाहन को रोकने का ईशारा किया। वाहन रोकने पर परिवादी श्री प्रभुलाल ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास आकर अवगत् कराया कि आरोपिता ज्योति राठौर चान्दियाखेड़ी में नहीं मिलेगी। आरोपिता ने मुझे मेरे मोबाईल पर अभी–अभी कॉल कर बताया है कि वह आकस्मिक कार्य आ जाने के कारण कोटा चली गयी है। कोटा से एक–दो दिन बाद आने पर मुझे मोबाईल से कॉल करेगी। उसने यह भी कहा है कि तुम मेरे द्वारा मोबाईल पर बताने के बाद ही आना। परिवादी श्री प्रभुलाल द्वारा दी गयी सूचना पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय ट्रेप पार्टी, स्वतन्त्र गवाहान् व साथ ले गये वाहनो के मय परिवादी श्री प्रभुलाल बाईपास पुलिया झालरापाटन से ब्यूरो कार्यालय के लिये रवाना हुआ। समय 01:45 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय ट्रेप पार्टी, स्वतन्त्र गवाहान् व साथ ले गये वाहनो तथा परिवादी श्री प्रभुलाल सहित ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आया। परिवादी श्री प्रभुलाल की पेंट की दाहिनी जेब में रखी गयी रिश्वत में दी जाने वाली राशि 20,000/–रूपये को रूबरू स्वतन्त्र गवाहान् श्री शिवराज कॉनि0 नं0 166 के जरिये निलवाया जाकर श्री गोपाल लाल हैड कॉनि0 नं0 26 से खाली लिफाफा मंगवाकर सीधे ही लिफाफा में रखवायी गयी तथा परिवादी श्री प्रभुलाल को रिश्वत लेनदेन के दौरान होने वाली वार्तालाप को रिकॉर्ड करने के

लिये सुपुर्द किये गये डिजीटल वॉईस रिकार्डर को भी परिवादी से प्राप्त कर श्री गोपाल लाल हैड कॉनि0 नं0 26 को सुपुर्द किया गया। रिश्वत राशि व डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को सुरक्षित मालखाना रखने के निर्देश दिये गये। तत्पश्चात् परिवादी श्री प्रभुलाल, महिला हैड कॉनि0 श्रीमती सुशीला नं0 580 तथा दोनो स्वतन्त्र गवाहो को अब तक की कार्यवाही के सम्बन्ध में पूर्णतया गोपनीयता बरतने तथा ट्रेप कार्यवाही के समय तलब करने पर अविलम्ब उपस्थित होने की हिदायत देकर ब्यूरो कार्यालय से रूखसत किया गया। ट्रेप बाक्स व अन्य सामग्री भी सुरक्षित मालखाना रखवायी गयी। आईन्दा परिवादी श्री प्रभुलाल को आरोपिता ज्योति राठौर द्वारा रिश्वत राशि देने हेतु बुलाने पर अग्रिम कार्यवाही अमल में लायी जावेगी। परिवादी श्री प्रभुलाल को पुनः हिदायत दी गयी कि वह भी अपने स्तर से आरोपिता के बारे में जानकारी रखे तथा आरोपिता द्वारा बुलाये जाने पर अविलम्ब ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित होवें। दिनांक 05.04.2022 समय 04:00 पीएम पर परिवादी श्री प्रभूलाल पुत्र श्री गुलाब जाति गूर्जर उम्र 46 वर्ष निवासी चांदियाखेड़ी डूण्डा, तहसील झालरापाटन जिला झालावाड़ राज0 मो0नं0 9799976255 ने ब्यूरो कार्यालय झालावाड़ पर स्वंय उपस्थित होकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष एक टाईप शुदा प्रार्थना पत्र पेश किया। परिवादी श्री प्रभूलाल के प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों को अवलोकन किया गया। परिवादी श्री प्रभूलाल ने उक्त प्रार्थना पत्र अपने विश्वसनीय व्यक्ति से टाईप करवाना बताया। परिवादी ने प्रार्थना पत्र में अंकित समस्त तथ्य सही होना तथा उस पर स्वंय के हस्ताक्षर होना बताया है। परिवादी द्वारा पेश किये गये टाईप शुदा प्रार्थना पत्र में आरोपिता ज्योति मैडम कनिष्ठ सहायक व सरपंच रामबिलास राठौर ग्राम पंचायत पिपलोद के विरूद्ध प्लाट का पट्टा बनवाने की एवज में रिश्वत के रूप में दी जाने वाली 20,000/–रूपये की राशि लौटायी जाने तथा दोनों आरोपिगणों को शक हो जाने पर ट्रेप कार्यवाही नहीं होने तथा परिवादी श्री प्रभूलाल द्वारा अपने प्लाट का पट्टा बनाने का कार्य हो जाने आदि का अंकन किया है। अतः परिवादी श्री प्रभूलाल द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र पर अग्रिम कार्यवाही के क्रम में श्री गोपाल लाल हैड कानि0 नं0 26 को मालखाना में सुरक्षित रखी हुयी रिश्वत राशि के 500 रूपये के 40 नोट कुल 20,000 रूपये परिवादी श्री प्रभूलाल को लौटाकर प्राप्ति रसीद लेने के निर्देश दिये गये। रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 16.02.2022 जो आरोपिया ज्योति राठौर कनिष्ठ सहायक ग्राम पंचायत पिपलोद पंचायत समिति झालरापाटन जिला झालावाड़ व परिवादी श्री प्रभुलाल के मध्य रिश्वत की मांग से सम्बधित हुयी थी। जिसकी फर्द ट्रांसक्रिप्ट दिनांक 22.02.2022 को समय 10.50 एएम पर तैयार की गई थी। उक्त वार्ता कार्यालय कम्प्यूटर में सेव थी। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री सूरज मल कानि0 नं0 521 को निर्देशित कर उक्त वार्ता की जरिये कम्प्यूटर गवाह श्री मोहम्मद आफाक हैड कानि0 व श्री गोपाल लाल हैड कानि0 एवं परिवादी श्री प्रभुलाल के समक्ष चार सीडी डब करवाई गई, जिसमें एक सीडी आरोपिया के लिये, एक सीडी नमूना आवाज हेतु तथा एक सीडी माननीय न्यायालय हेतु कपड़े की थेली में रखकर सील मोहर की गई तथा एक सीडी अनुसंधान अधिकारी हेतु खुली रखी गयी। उक्त कार्यवाही की फर्द डबिंग एवं जब्ती सी0डी0 दिनांक 05.04.2022 समय 04:15 पीएम पर तैयार कर शामिल पत्रावली की गयी। परिवादी द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र को पत्रावली में शामिल किया गया एवं परिवादी को 20,000/– रूपये लौटाकर प्राप्ति रसीद प्राप्त कर ब्यूरो कार्यालय से रूखसत किया गया।

अब तक की कार्यवाही से पाया गया कि दिनांक 16.02.2022 को परिवादी श्री प्रभूलाल पुत्र श्री गुलाब जाति गूर्जर निवासी चांदियाखेड़ी डूण्डा तहसील झालरापाटन जिला झालावाड़ ने कार्यालय में उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़वाने बाबत् पेश कर दरियाफ्त पर बताया कि उसका उसके गांव में 19 गुणा 40 वर्ग फीट साईज का एक प्लॉट है। जिसका पट्टा बनवाने के लिए वह दिनांक 15.02.2022 को उनकी ग्राम पंचायत पिपलोद के सरपंच श्री रामबिलास राठौर से उसके घर पर मिला तो उसने कहा कि ज्योति मैडम से मिल लो, तुम्हारे मकान का पट्टा वही बनायेगी। इस पर परिवादी उसी रोज ज्योति राठौर मैडम जो ग्राम पंचायत पिपलोद में कनिष्ठ सहायक के पद पर लगी हुई है। उससे मिला तो उसने कहा कि तुम्हारे मकान का पट्टा बनाने के लिए 25,000रूपये देने पड़ेगें। तुम्हारे पास 25,000रूपये की व्यवस्था हो जाए तो मेरे पास आ जाना। तुम्हारे मकान का पट्टा बनवा दूंगी। परिवादी श्री प्रभूलाल के उक्त प्रार्थना पत्र में अंकित शिकायत का सत्यापन उसी दिन ब्यूरो के श्री सूरजमल कॉनि0 को परिवादी श्री प्रभूलाल के साथ चांदियाखेड़ी भिजवाकर करवाया गया तो परिवादी द्वारा पूर्व में ब्यूरो कार्यालय में पेश प्रार्थना पत्र में अंकित कथनो की पुष्टि हुई। तथा परिवादी प्रभूलाल द्वारा आरोपिया ज्योति राठोर मैडम से निवेदन करने पर प्लाट का पट्टा बनाने के लिये 20,000/–रूपये रिश्वत राशि लेने पर राजी होना बताया। दिनांक 21.02.2022 को परिवादी द्वारा रिश्वत राशि का इन्तजाम कर लेने पर तथा आरोपिता के बाहर गयी हुई के ड्यूटी पर उपस्थित होने पर जरिये मोबाईल मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अवगत् करवाया गया। इस पर दो सरकारी गवाह व एक महिला हैड कॉनि0 को तलब किया गया। दिनांक 22.02.2022 को फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन व फर्द प्राप्ति एवं सुपुर्दगी रिश्वति नोट एवं दृष्टांत तैयार करवाकर दिनांक 22.02.2022 को ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया गया। तथा समय 01:10 पीएम मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनो सरकारी गवाह, महिला हैड कॉनि0 एवं ब्यूरो जाब्ता के मय परिवादी बजानिब पिपलोद की ओर ट्रेप कार्यवाही हेतु रवाना हुआ। परिवादी श्री प्रभुलाल ने गोपनीय कार्यवाही के लिये जाते समय रास्ते में झालरापाटन से आगे बाईपास पुलिया के नजदीक अपनी मोटर साईकिल रोककर रूकने का ईशारा करने पर वाहन रोकने पर परिवादी श्री

प्रभुलाल ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास आकर अवगत् कराया कि आरोपिता ज्योति राठौर चान्दियाखेड़ी में नहीं मिलेगी। आरोपिता ने मुझे मेरे मोबाईल पर अभी-अभी कॉल कर बताया है कि वह आकस्मिक कार्य आ जाने के कारण कोटा चली गयी है। कोटा से एक-दो दिन बाद आने पर मुझे मोबाईल से कॉल करेगी। उसने यह भी कहा है कि तुम मेरे द्वारा मोबाईल पर बताने के बाद ही आना। परिवादी श्री प्रभुलाल द्वारा दी गयी सूचना पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय ट्रेप पार्टी, स्वतन्त्र गवाहान् व साथ ले गये वाहनो के मय परिवादी श्री प्रभुलाल बाईपास पुलिया झालरापाटन से ब्यूरो कार्यालय के लिये रवाना होकर समय 01.45 पीएम पर ब्यूरो कार्यालय पहुंचा। रिश्वत राशि 20,000/-रूपये को एक लिफाफे में रखवाकर मालखाने में रखवाया गया तथा दोनों स्वतंत्र गवाह व महिला कानि0 को रूखसत किया गया व परिवादी को हिदायत दी गयी कि वह अपने स्तर से आरोपिता के बारे में जानकारी रखे तथा आरोपिता द्वारा बुलाये जाने पर अबिलम्ब ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आवें। दिनांक 05.04.2022 को समय 04.00 पीएम पर परिवादी श्री प्रभुलाल कार्यालय में उपस्थित आया तथा एक टाईप शुदा प्रार्थना पत्र पेश कर बताया कि मैंने ज्योति मैडम को कई बार उसके मोबाईल पर कॉल किया परन्तु उन्होने नहीं उठाया है। इस पर मैंने जानकारी की तो पता चला कि मैडम तब से ही छुट्टी पर चल रही है, जो अभी तक भी ड्यूटी पर नहीं आयी है। मेरा प्लाट का पट्टा भी बना दिया है। ज्योति मैडम व सरपंच रामबिलास राठौर को मुझ पर शक हो गया है, कि मैं उन्हे रिश्वत लेते हुए ट्रेप करा सकता हूं। इसलिए ज्योति मैडम छुट्टी लेकर भाग गयी है तथा सरपंच रामबिलास राठौर ने मेरे प्लाट का पट्टा बनवा दिया है। अब वह मुझसे रिश्वत राशि नहीं लेगें। अतः मुझे मेरे द्वारा पूर्व में दी गयी रिश्वत राशि के 20,000/-रूपये लौटाये जाने बाबत् प्रार्थना पत्र पेश किया। इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री गोपाल लाल हैड कानि0 को निर्देशित कर मालखाने में रखी रिश्वत राशि 20,000/-रूपये निकलवाकर कार्यालय पत्रांक 284 दिनांक 05.04.2022 द्वारा परिवादी श्री प्रभुलाल को सुपुर्द कर प्राप्ति रसीद प्राप्त की गयी।

आरोपिता ज्योति राठौर कनिष्ठ सहायक द्वारा 20,000/-रूपये की मांग करने की पुष्टि रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता से साबित होने पर ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया गया। आरोपिता ज्योति राठौर को किसी तरह ट्रेप कार्यवाही की भनक लग जाने के कारण कार्यालय से अवकाश लेकर चले जाना तथा सरपंच के मार्फत् परिवादी के प्लाट का पट्टा बनवा देना। आरोपिता का उक्त कृत्य अन्तर्गत धारा 7 पीसी एक्ट (संशोधित) 2018 में अपराध की श्रेणी में आता है। अतः आरोपिता ज्योति राठौर पुत्री श्री बनवारी लाल राठौर जाति राठौर उम्र 38 वर्ष निवासी नई आबादी असनावर तहसील असनावर जिला झालावाड़ हाल कनिष्ठ सहायक ग्राम पंचायत पिपलोद पंचायत समिति झालरापाटन जिला झालावाड़ के विरूद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 7 पीसी एक्ट (संशोधित) 2018 का अपराध घटित होना पाया गया है। आरोपिता ज्योति राठौर कनिष्ठ सहायक के विरूद्ध उक्त धारा में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार की जाकर वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सी0पी0एस0 राज0 जयपुर की सेवा में सादर प्रेषित है।

भवदीय;

संलग्न :-

1. आरोपिया का सेवा विवरण

(भवानी शंकर मीणा)
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
झालावाड़।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री भवानी शंकर मीणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झालावाड़ ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) आरोपिया ज्योति राठौर पुत्री श्री बनवारी लाल राठौर, कनिष्ठ सहायक, ग्राम पंचायत पिपलोद, पंचायत समिति झालरापाटन, जिला झालावाड़ के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 174/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

11/5/22

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांक 1553-57 दिनांक 11.5.2022

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् झालावाड़।
4. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झालावाड़।

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।